पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."





(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 जून 2023 — आषाढ़ 5, शक 1945

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2023

अधिसूचना

कमांक एफ 5–3/आठ–परि/2022. – मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991) की धारा 21 सहपठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,--

तृतीय अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''चतुर्थ अनुसूची

मोटर वाहन कर में रियायत

स.	प्रयोजन	मोटरयान कर में रियायत				
क.						
(1)	(2)	(3)				
1.	यदि वाहन	गैर–परिवहन यानों के मामले में परिवहन यानों के मामले में मोटरयान कर में रियायत,				
	''निक्षेप	मोटरयान कर	में रियायत	जिसका उपयोग पंजीकरण की तिथि से 08 वर्ष तक किया		
	प्रमाणपत्र''	(प्रतिशत में), र्ा	जेसका उपयोग	जा संकेगा।		
	प्रस्तुत करने	पंजीकरण की वि	तेथि से 15 वर्ष			
	पर पंजीकृत	तक किया जा स	ाकेगा ।			
	किया जाता है,	जीवनकाल कर	त्रैमासिक कर	जीवनकाल कर	त्रैमासिक कर	मासिक कर देय वाहन
	तो मोटरयान	देय वाहन हेतु	देय वाहन हेतु	देय वाहन हेतु	देय वाहन हेतु	हेतु
	के पंजीयन के	-			-	-
	समय यान का	25 प्रतिशत	प्रारंभिक 04	15 प्रतिशत	प्रारंभिक 04	प्रारंभिक 03 माह के
	स्केपिंग	कर छूट	त्रैमासिक कर	कर छूट	त्रैमासिक कर	स्पेयर कर के बराबर की
	प्रमाणपत्र		की राशि से	, ci	की राशि से	राशि से छूट
	प्रस्तुत करने		ਙਟੂਟ		ਬਟੂਟ	
	पर					

- (क) मोटर साईकिल,
- (ख) अशक्त यात्री गाड़ी,
- (ग) हल्का मोटरयान,
- (घ) मध्यम यात्री मोटरयान,
- (ड.) मध्यम माल यान,
- (च) भारी यात्री मोटरयान,
- (छ) भारी माल यान,
- (ज) ई–रिक्शा,
- (झ) ई–कार्ट,
- (ञ) किसी विनिर्दिष्ट वर्णन का कोई अन्य मोटर यान।

उपरोक्त वर्गीकृत अनुसार, रियायत, समान प्रकार की वाहनों पर लागू होगी।

वाहनों के स्कैपिंग हेतु शर्त	छूट	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
पंजीकृत यान स्केपिंग सुविधा	स्कैपिंग दिनांक से पूर्ववर्ती एक	किन्तु ऐसे वाहन, जिनका
(आरव्हीएसएफ) सेंटर के माध्यम से	वर्ष तक का मोटरयान कर,	मोटरयान कर जमा हो चुके है,
स्कैपिंग करने पर	शास्ति एवं ब्याज राशि में पूर्णतः	ऐसे मोटरयान कर, शास्ति एवं
	्रूट	ब्याज की राशि, किसी भी स्थिति
		में, वापसी या समायोजन योग्य
		नहीं होंगे।''

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 19th June 2023

NOTIFICATION

No. F 5-3/VIII-Trans./2022. – In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and Section 21 read with Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

After Third Schedule, the following Schedule shall be added, namely:-

"FOURTH SCHEDULE

Concession in Motor Vehicle Tax

S.No.	Purpose	Concession in Motor Vehicle Tax					
(1)	(2)			(3)			
1.	If the vehicle is registered on production of "deposit certificate", then on production of the vehicle's scrapping certificate at the time of registration of the motor vehicle.	Concession in me (in percentage) i transport vehicles availed up to 15 date of registration For Life time Taxable Vehicle	n case of non- , which can be years from the	Concession in r transport vehicle years from the d For Life time Taxable Vehicle	es, which can	be used for 08	
		25 percent tax exemption	Exemption from initial 04 quarterly tax amount	15 percent tax exemption	Exemption from initial 04 quarterly tax amount	Exemption from the amount equal to spare tax of initial 03 months	

(a) a motor cycle,

(b) an invalid carriage,

(c) a light motor vehicle,

(d) a medium passenger motor vehicle,

(e) medium goods vehicle,

(f) heavy passenger motor vehicles,

(g) heavy goods vehicle,

(h) e-rickshaw,

(i) e-cart,

(j) any other motor vehicle of a specified description.

The concession shall be applicable to similar types of vehicles as classified above.

Condition for scrapping of vehicles	Discount	Remark	
	(2)	(3)	
scraping through the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)center	Full waiver in motor vehicle tax, penalty and interest amount for the preceding one year from the date of scrapping	But such vehicles whose motor vehicle tax has been deposited, the amount of such motor vehicle tax, penalty and interest will not be refundable or adjustable under any circumstances."	

This notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.